



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013-पौष 14, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कुंवर सिंह जाटव आत्मज श्री मिट्टूराम जाटव, वार्ड क्र. 12, कामद रोड, इन्दरगढ़, जिला दतिया (मध्यप्रदेश), सहायक प्राध्यापक (गणित), शासकीय विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय, भाण्डेर, जिला दतिया (मध्यप्रदेश) ने अपने उपनाम जाटव को परिवर्तित कर माथुर लिखना प्रारम्भ कर दिया है. अतः इनका उपनाम जाटव के स्थान पर माथुर से जाना जावे एवं भविष्य में जो भी पत्र व्यवहार या कोई वैधानिक कार्यवाही की जाए वह कुंवर सिंह माथुर के नाम से ही की जावे.

पुराना नाम :

(कुंवर सिंह जाटव)

(246-बी.)

नया नाम :

(कुंवर सिंह माथुर)

सहायक प्राध्यापक (गणित),
शा. वि. रा. सि. महाविद्यालय, भाण्डेर,
जिला दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हर्षवर्धन ने अपना नाम परिवर्तन कर यश जोशी कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(हर्षवर्धन)

(247-बी.)

नया नाम :

(यश जोशी)

पिता-राजेश जोशी,
2-ए, एम. आई. जी.
4, अहिल्यापुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. जय विजय कान्स्ट्रक्शन कंपनी, पारस नगर, अनंतपुर से दिनांक 15 जून, 2011 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. फर्म से निकाले गए पार्टनरों का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं रहेगा. फर्म के शेष पार्टनर यथावत फर्म में बने रहेंगे.

फर्म से पृथक् किए गए पार्टनर इस प्रकार हैं.—

1. श्री रज्जन सिंह, 2. श्री विश्राम सिंह, 3. श्री बट्टी विशाल सिंह

(248-बी.)

भवदीय

प्रो. जय कुमार पाण्डेय (भागीदार)

मै. जय विजय कान्स्ट्रक्शन कं., पारस नगर,
अनंतपुर, रीवा (म. प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री हनुमान मंदिर श्री लादूनाथ जी गुरु आश्रम न्यास, इन्दौर” कार्यालय पता-37/1, माली मोहल्ला, एम. ओ. जी. लाइन, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री रामकिशन गुरु श्री 1008 श्री लादूनाथ जी महाराज पता-37/1, माली मोहल्ला, एम. ओ. जी. लाइन, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“श्री हनुमान मंदिर श्री लादूनाथ जी गुरु आश्रम न्यास, इन्दौर”.
पता :	37/1, माली मोहल्ला, एम. ओ. जी. लाइन, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	परिशिष्ट “अ” अनुसार.
चल सम्पत्ति :	रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्कावन हजार मात्र) एवं परिशिष्ट “ब” अनुसार अन्य चल सम्पत्ति.

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(642)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“आवाहन पब्लिक ट्रस्ट” कार्यालय—202, गुरु सम्पदा, 98, चिकित्सक नगर, इंदौर की ओर से आवेदक श्री रत्नेश पिता जयचन्द्र पाण्डे, निवासी रत्नेश भवन, म.नं. 81, हैप्पी नर्सरी स्कूल के पास, रीवा रोड, सतना हाल मुकाम 102, रिलायबल रेसीडेन्सी, 96, चिकित्सक नगर, बाम्बे अस्पताल के समीप, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	'आवाहन पब्लिक ट्रस्ट'.
पता :	202, गुरु सम्पदा, 98, चिकित्सक नगर, इंदौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(642-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह

दमोह, दिनांक 30 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) 70 ए एवं 71 के तहत]

क्र./विधि/सं.प.दा./2012/1169.—संस्था हंसराज मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, देवरी रतन, विकासखंड पटेरा, जिला दमोह, पंजीयन क्रमांक 566 को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/सं.प.द./विधि/2012/833, दमोह, दिनांक 2 अगस्त, 2012 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत जारी कर बिंदु क्रमांक 01 से 06 तक के संबंध में की गई कार्यवाही तथा अभिलेख सहित दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें. निर्धारित समय अवधि तथा आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था के ऊपर लगाये गये बिन्दु क्रमांक 01 से 06 तक आरोप स्वीकार हैं, इससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70 एवं 71 के तहत पंजीयक की शक्तियां वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्वारा संस्था हंसराज मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, देवरी रतन को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही 70 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. के उमरे, मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय सहायक करता हूँ

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पटेरा को आदेशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 60 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश कुमार जैन,
सहायक पंजीयक.

(643)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1288.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काजोना, तहसील कैलारस/सबलगाढ़, पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1289.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डवेरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1273, दिनांक 08 अगस्त, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-A)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1290.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुरी गिर्द, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-B)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1291.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचेर, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-C)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1292.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकसपुर, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1253, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-D)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1293.—माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कीर्तिपुरा, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1154, दिनांक 26 सितम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2113, दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-E)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1294.—माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरघान, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1161, दिनांक 30 जनवरी, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2479, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-F)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1295.—माँ खुमानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मांगरोल, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1155, दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2489, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-G)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1296.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालई, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/734, दिनांक 06 अगस्त, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-H)

मुरैना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1297.—खरदियान कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़, तहसील कैलारस/सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 08 अगस्त, 1963 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2480, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्रीविजय गौतम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कैलारस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां-देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्रसिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18/1 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(644-I)

उपेन्द्रसिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./09/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेड़ी, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 392, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेड़ी, तहसील बदनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./09/406, धार, दिनांक 30 जून, 2009 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., राजुखेड़ी, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 09 जनवरी, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., राजुखेड़ी, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-A)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./09/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खण्डलाई जागीर, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खण्डलाई जागीर, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-B)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./02/1590, धार, दिनांक 22 अगस्त, 2002 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिडपुर कस्थली, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 29 सितम्बर, 1994 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिडपुर कस्थली, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(645-C)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1445, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढापला, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढापला, तहसील धरमपुरी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(645-D)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1455, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देदला, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देदला, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(645-E)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1456, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जाजमखेड़ी, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जाजमखेड़ी, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-F)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1458, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिम्बोल, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 29 मई, 2002 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिम्बोल, तहसील कुक्षी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-G)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1457, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 31 मार्च, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-H)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1460, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देशवाल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 26 अगस्त, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देशवाल्या, तहसील कुक्षी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-I)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1451, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिकली, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 17 अगस्त, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिकली, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-J)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./02/1601, धार, दिनांक 24 अगस्त, 2002 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खलघाट, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 04 अप्रैल, 1994 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खलघाट, तहसील धरमपुरी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-K)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./10/736, धार, दिनांक 25 मई, 2010 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खलघाट, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 14 जून, 1966 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., खलघाट, तहसील धरमपुरी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-L)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1454, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवला, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1076, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रज्ञा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवला, तहसील मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-M)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1466, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रोगलिया, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 14 जून, 2006 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रोगलिया, तहसील धार, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-N)

धार, दिनांक 07 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1867.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./12/1464, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सकतली, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 23 जनवरी, 1990 हैं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सकतली, तहसील धार जिला धार, का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(645-O)

भंवर मकवाना,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 04 जनवरी 2013-पौष 14, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), खनियाधाना, करैरा, कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), बड़ामल्हारा (छतरपुर), खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), सुबासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, संजीत, धुन्धका, शामगढ़ (मंदसौर), महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन (उज्जैन), शाजापुर, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, बड़ौद, शाजापुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), अलीराजपुर, जोवट, कट्टीबाड़ा, भामरा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुशी, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), राजगढ़ (राजगढ़), भैंसदेही, चिंचोली, बैतूल, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली (जबलपुर), रीठी, बरही (कटनी), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), निवास, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), सिवनी, लखनादौन, कुरई व घनौरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर (शिवपुरी), पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), वकस्वाहा (छतरपुर), पवई, शाहनगर (पन्ना), सोहागपुर, बुढार (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), शुजालपुर (शाजापुर), खकनार (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), कटनी, विजयराधवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बड़वारा (कटनी), गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, मण्डला, घुघरी (मण्डला) केवलारी, बरघाट, छपारा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील डबरा (ग्वालियर), बिजावर, (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), जैतपुर (शहडोल), कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), रामपुरनैकिन (सीधी), कुन्डम (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक. — तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहौना (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), निवाड़ी, पलेरा, (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), शाहगढ़ (सागर), पटेरा (दमोह), ब्योहरी, जैसिंहनगर, गोहपारु (शहडोल), गोपदवनास, मझौली, कुसमी, चुरहट (सीधी), नेपानगर, बुरहानपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), डिण्डोरी (डिण्डोरी), घंसौर (सिवनी), बालाघाट, बैहर, बारासिवनी, (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शहडोल व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में जगनी व मण्डला में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति.—जिला अशोकनगर व भोपाल में फसल सोयाबीन पर इल्ली का प्रकोप कहीं-कहीं है.
5. कटाई.— जिला भोपाल में फसल सायाबीन व सीहोर में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगाढ़ 6. कैलारस	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, ज्वार, मक्का, राई-सरसों समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	मिलीमीटर 6.0 21.0 18.6	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, सोयाबीन समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन }	मिलीमीटर 170.0 102.2 75.0 65.0 59.6 122.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल, सायाबीन सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	मिलीमीटर 79.3 52.0 31.0 15.0	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, अधिक. मूंगफली, तिल, मूंगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया : 1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार धान, गन्ना, बाजरा, मक्का मूंग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी : 1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	मिलीमीटर 26.8 21.0 8.0 .. 16.0 15.0 .. 9.0	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूंगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधीर हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	7.0	2. फसलों पर इल्ली का प्रकोप है सोयाबीन कहीं-कहीं झड़ रही है.	4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. गन्ना, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	6.0				
4. चन्देरी	2.0				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3.	5. ..	7. ..
1. गुना	4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	75.60	..	4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूंगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	22.0				
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	14.0				
5. मोहनगढ़	..				
6. बल्देवगढ़	18.0				
7. लिधोरा	..				
8. पलेरा	76.0				
9. खरगापुर	..				
10. ओरछा	20.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	81.0	..	4. (1) ज्वार, अरहर, तिल कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	223.0				
3. नौगांव	82.8				
4. छतरपुर	58.6				
5. राजनगर	86.5				
6. बिजावर	48.0				
7. बड़ामलहरा	8.0				
8. बकस्वाहा	20.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	186.0	..	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल कम. गेहूँ, चना बिगड़ी हुई. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	134.4				
3. गुन्नौर	53.0				
4. पवई	26.0				
5. शाहनगर	20.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों अरहर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन समान. (2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, अरहर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	3.4				
3. बण्डा	8.0				
4. सागर	11.2				
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	3.4				
8. राहतगढ़	5.0				
9. केसली	0.6				
10. शाहगढ़	60.0				
11. मालथोन	4.2				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	16.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	10.0		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	8.6				
4. पथरिया	6.0				
5. जवेरा	3.0				
6. तेन्दूखेड़ा	6.2				
7. पटेरा	55.0				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगावां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्यौंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रयपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	21.0		4. (1) मक्का, धान कम. उड़द, अरहर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	120.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	152.0				
4. जैतपुर	46.0				
5. बुढार	26.5				
6. गोहपारू	107.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	20.8		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मक्का, उड़द, राहर, कोदों, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	22.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	39.2				
4. पुष्पराजगढ़	45.2				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	34.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	39.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	37.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का-कम. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, उड़द, सांवा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	165.0				
2. सिंहावल	257.2				
3. मझोली	126.8				
4. कुसमी	71.0				
5. चुरहट	84.8				
6. रामपुरनैकिन	51.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, सांवा, ज्वार, अरहर, तिल, उड़द, मूँग, कोदों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का उड़द कम. तिल, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	11.5				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	10.0				
4. गरोठ	4.2				
5. मन्दसौर	6.0				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	4.0				
8. शामगढ़	4.2				
9. संजीत	8.4				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर, अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान. (2) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	4.0				
3. तराना	11.0				
4. घटिया	13.0				
5. उज्जैन	5.0				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, ज्वार, अरहर, मूँगफली मक्का, समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	7.0				
3. नलखेड़ा	11.2				
4. आगर	5.0				
5. बड़ौद	3.0				
6. शाजापुर	1.0				
7. शुजालपुर	20.0				
8. कालापिपल	3.0				
9. गुलाना	13.0				

1	2	3	4	5	6	
जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			ज्वार, मक्का, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	..					
5. कन्नौद	..					
6. खातेगांव	..					
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..			4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..			मक्का, कपास, मूंगफली, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..			ज्वार समान.		
4. झाबुआ	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. राणापुर	..					
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. जोवट	2.6			4. (1) धान, कपास, उड़द, सोयाबीन, तुअर	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	6.0			अधिक. ज्वार, मक्का कम.	..	
3. कट्टीवाड़ा	14.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. सोण्डवा	..					
5. उदयगढ़	5.4					
6. भामरा	10.0					
जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	1.2			4. (1) सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..			मक्का, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	13.9			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	2.6					
5. मनावर	8.0					
6. धरमपुरी	4.0					
7. गंधवानी	..					
8. डही	5.0					
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..					
4. महू	..					
(डॉ. अम्बेडकरनगर)						
*जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सनावद	..			(2) ..		
3. महेश्वर	..					
4. सेगांव	..					
5. करही	..					
6. खरगोन	..					
7. गोगावां	..					
8. कसरावद	..					
9. मुल्टान	..					
10. भगवानपुरा	..					
11. भीकनगांव	..					
12. झिरन्या	..					

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. अंजड	..				
4. राजपुर	..				
5. सेंधवा	..				
6. बरला	..				
7. पानसेमल	..				
8. पाटी	..				
9. निवाली	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	15.5		4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, सनहेम्प, कपास, तुअर, मूँग, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	24.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नेपानगर	55.5				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजगढ़	11.0				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	30.4				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन पर इल्ली का आंशिक प्रकोप है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	3.3		4. (1) मूँगफली, गन्ना- कम. सोयाबीन मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	5.7		(2) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूँगफली, गन्ना समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	5.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	4.0				
5. बैतूल	5.8				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	13.0				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	5.2		4. (1) तुअर अधिक. मूँगमोठ, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	12.8		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	5.0		(2) गन्ना समान.		
4. इटारसी	4.2				
5. सोहागपुर	15.0				
6. पिपरिया	54.4				
7. वनखेड़ी	25.6				
8. पचमढी	29.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	4.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	13.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	2.7				
4. मझौली	10.0				
5. कुण्डम	41.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	18.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	9.0		(2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, राहर,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	21.5		तिली, सोयाबीन, उड़द समान.		
4. बहोरीबंद	22.4				
5. ढीमरखेड़ा	19.0				
6. बरही	8.0				
7. बड़वारा	30.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	21.0				
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	1.0				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	14.4				
2. बिछिया	21.1				
3. नैनपुर	16.5				
4. मण्डला	22.4				
5. घुघरी	25.2				
6. नारायणगंज	2.9				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) मक्का, धान, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, रामतिल, उड़द समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	111.5				
2. शाहपुरा	8.4				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .				
2. जुन्नारदेव	. .				
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँगमोठ, तिल, सोयाबीन, कपास, सन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	11.2				
2. केवलारी	30.0				
3. लखनादौन	5.0				
4. बरघाट	32.9				
5. कुरई	2.0				
6. घंसौर	97.3				
7. घनोरा	15.0				
8. छपारा	20.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान. (2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	70.0				
2. लाँजी	. .				
3. बैहर	69.0				
4. वारासिवनी	65.8				
5. कटंगी	26.8				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सतना, रीवा, प. निमाड़, बड़वानी, पूर्व निमाड़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

(641)

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.